## कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी जिलास्तरीय समिति

अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर / /
श्री आशीष चौहान	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	• जिस्का
श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी किल्य	ण ाहिक <b>री (त्र विश्वीति</b>
अति जितसिंदरावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
सु कपीप रिम्ह विकित	जिला पंचायत सदस्य उत्तरकाशी	(3°3)
ł	श्री आशीष चौहान श्री संदीप कुमार	श्री आशीष चौहान जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी किल्य

FORM -1

(For linear project)

Government of \_\_\_\_\_

Office of the District Collector Uttarkashi

No.158/2018

Dated: .31-1-18

### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MOEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.582 hectares of forest land proposed to be diverted in fabour of Telelinks Ltd. EPC Division, Industrial Area, Phase – 8B Mohali, Punjab for Laying Optical Fiber Cable Aerial is Uttarkashi district falls within jurisdiction of Veerpur village (s) in Dunda Tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.582 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of ail consultation and meeting of the Forest Right Committee (S) Gram Sabha (s) Sub Division Level Committee (s) and the district Level Committee and enclosed as annexure I to Annexure II
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights to Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

Signature

ENCL: as above

(full name and office seal of the District Collector)

Form - II

(For projects other than linear projects)

Government of .....

Office of the District Collector Uttarkashi

No. 1.58/2018

Date: 21-1-2018

## TO WHOMESOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India Letter No 11-9/98 FC (Pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to the diverted for non-forest purpose, it is certified that 0.582 hectares of forest land proposed to the diverted in favour of Vindhya Telelinks Ltd. EPC Division, Industrial Area, Phase – 8B Mohali, Punjab with in jurisdiction of Veerpur village in Dunda Tehsils.

#### It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA been carried out for the entire **0.582** Hectares of forest land and proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right Committee (S) Gram Sabha (s) Sub Division Level Committee (s) and the district Level Committee and enclosed as annexure I To annexure II
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having the understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Veerpur Villages (s) is enclosed as annexure | To annexure | I
- (d) The discussion and decisions on such proposal had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: as above

(Full Name and official Seal of the District Collector)

# कार्यालय – उप जिलाधिकारी, बुण्डाउत्तरकाशी

## अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, डुण्डा, उत्तरकाशी

उपखण्ड डुण्डा उत्तरकाशी परिक्षेत्र के उत्तरकाशी वन प्रभाग की धरासू रेंज के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Nagun to Dharasu and Kalyani to Nalapani(Total Length-19.4 KM)तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.582हैं0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित0.582हैं0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतुVindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) के द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत, वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सिमित,(तहसील –) की दिनांक कि सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006एंव नियम 2008के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री र्शित अप्रिक्त से पाननीय सदस्यों की उपस्थित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थित निम्नानुसार है।

1. श्री अं रिक्र अं अवस्था अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष । श्री अध्यक्ष । अध्यक्ष । अध्यक्ष । श्री अध्यक्ष । अध

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित सिन्दिक्त की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उत्तरकाशी वन प्रभाग के धरासू रेंज अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशीके विकास खण्डडुण्डा में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Nagun to Dharasu and Kalyani to Nalapani (Total Length-19.4 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.582 हैं0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित0.582हैं0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतुVindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) के द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

अनुशंशा को गया है। सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (घरास्)उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार जा दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा कुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

चुका है। अतः प्रकरण में उपखण्ड एउडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तरकाशी वन प्रभाग के धरासू रेंज अन्तर्गत बैठक में सर्वसममित से उपखण्ड डुण्डा परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तरकाशी वन प्रभाग के धरासू रेंज अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Nagun to Dharasu and Kalyani to Nalapani (Total Length-19.4 KM)तक को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

जप जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील...../ जनपद—..... प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

तु। उप जिलाधिकीय / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

> क्षाता अवस्थानी क्षेत्र

वन अधिकार	अधिनियम	2005	के अन्तर्गत	अनागन्ति	тштп	Ha
- नजाजरा	का नाम-	4		ON THATELE	अनाण	47
तहसील	Cias	dir	35			
जिला-	202	1	1			
तहसील जिला - परियोजना क	उठ (का	arja	~			

Row permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.)
From - जाउन केरियर - मालुपानी, धरामु कोर - उद्यानी गांव

Total length- km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु आपेक्षित है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु VINDHYA IELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसकेअतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मित द्वारा निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निमार्ण हेतु अपेक्षित ७.५८% (वन स्वरूप) बंजर भूमि का (संरक्षण) 1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) के पक्ष में ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने पर कोइ आपत्ति नहीं है।

ग्रामक्ष्मितियात उत्तरकाशी

मोहर सहित।

है0 प्रयोक्त एजेन्सी

# दिनांक 23111 2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

f	ग्राम सभा – बंग्लों की क	ाण्डी
कमांक	ग्राम सभा में उपस्थिति वरिष्ठ ग्राम वासियों के न	नाम हस्ताक्षर
	अरमेद सिंह सीता देवी	Anyond 1 0
2	सीता वेबी	Anynd al siller fal
3	मुकेश मिंह	गुनेश हिर्
4	राकेश विल्स	R. Bust.
5	मुकेश मिंह राकेश वित्य -पाद भण्डारी	CHAND
6	साविती देवी	लाहित देवी
7	केलाश मिंह अन्यारी	नेलाश
8	अमील रार्भ	H. Shorma
9	अभीव हामी	H. Sherma Poly of Solvy
10	सातीश उपाहपाप	(Max)
11		
12		
13		
15		
16		
17		
18	THE PERSON NAMED IN THE PART OF PERSONS AS	
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		1
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35	and the second s	
36		
37		